A 6

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

उपासीन अधिकारी–

करतार सिंह,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
56 / अपील / 18	28.05.2018	23.05.2022

1. लोकेश आ0 भेरूलाल
2. गीता बाई पत्नी भेरूलाल
3. सावित्री पुत्री भेरूलाल
4. स्यालू पुत्री भेरूलाल

जाति बलाई निवासी जजावर हाल निवासी सूरज जी का बड, बून्दी जिला बून्दी।

–अपीलान्ट

बनाम

रामचन्द्र आ0 माधो जाति धाकड निवासी जजावर तहसील नैंनवा जिला बून्दी

–रेस्पोडेन्ड

उपस्थित–

अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से – श्री कैलाश चन्द नामघराणी एड0
रेस्पो0 की ओर से – श्री कैलाश चन्द गुप्ता एड0

निर्णय

यह अपील तहसीलदार नैंनवा द्वारा प्रकरण संख्या 2/प्रा0पत्र/2017 निर्णय दिनांक 04.05.2018 से अप्रसन्न होकर इस न्यायालय में पेश की गई हैं। अपीलाधीन निर्णय से तहसीलदार नैंनवा द्वारा भूमि खसरा संख्या 2367 रकबा 16 बीस्वा, 2368 रकबा 8 बीस्वा, खसरा संख्या 2372 रकबा 10 बीस्वा, 2375 रकबा 12 बीस्वा, 2398 रकबा 9 बीस्वा कुल किता 5 रकबा 2 बीघा 15 बीस्वा वाके ग्राम जजावर तहसील नैंनवा से रेस्पोडेन्ड को बेदखल करने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अस्वीकार किया गया हैं। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि तहसीलदार नैंनवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2018 कानून एवं वस्तु स्थिति के विपरीत हैं। विवादित आराजी में से खसरा संख्या 2372 रकबा 10 बीस्वा व खसरा संख्या 2375 रकबा 12 बीस्वा में से 11 बीस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 1 बीस्वा भूमि सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अवाप्त की जा चुकी हैं जिसका मुआवजा अपीलांटस प्राप्त कर चुके हैं। अपीलांटस अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। अपीलांट संख्या 1, 3, 4 के पिता व 2 के पति ने उक्त भूमियां रेस्पोडेन्ड रामचन्द्र के पास 10 वर्ष पूर्व पचास हजार रूपये में गिरवी रखी थी। अपीलांटस जून, 2016 में अपनी जमीनों को गिरवी से छुडाने के लिए रेस्पोडेन्ड के पास गये तो रेस्पोडेन्ड ने कब्जा छोडने से इंकार कर दिया। रेस्पोडेन्ड जून, 2016 से रेस्पोडेन्ड अतिकमी की हैसियत से काबिज हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04.05.2018 पारित किया गया हैं जिसमें अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया हैं। रेस्पोडेन्ड द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कथाकथित विकय पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी हैं जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने भी कानून का उल्लंघन माना हैं। धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमियों पर बलात, कब्जा हटाने के प्रावधान हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अति० जिला कलक्टर

विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधीनस्थ य द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.05.2018 निरस्त किया जावे। वकील अपीलांटस ने ने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2014 पेज 499 व आरआरडी 2015 पेज 345 की नजीरें श की।

वकील रेस्पोडेन्द ने अपनी बहस में व्यक्त किया कि अपीलांटस के पिता भेरू आ0 गोपाल व मोत्या बेवा गोपाल जाति बलाई निवासी जजावर ने विवादित कृषि भूमि का बेचान दिनांक 28.09.1991 को रेस्पोडेन्द रामचन्द्र व उसके परिवारजनों के नाम कर कब्जा संभला दिया था, तब से ही रेस्पोडेन्द निर्बाध रूप से कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटस का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया गया हैं जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी हैं। अतः अपील अपीलांटस खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अपीलाधीन विवादित आदेश दिनांक 04.05.2018 से अपीलांट को भूमि खसरा संख्या 2367 रकबा 16 बीस्वा, 2368 रकबा 8 बीस्वा, खसरा संख्या 2372 रकबा 10 बीस्वा, 2375 रकबा 12 बीस्वा, 2398 रकबा 9 बीस्वा कुल किता 5 रकबा 2 बीघा 15 बीस्वा उक्त भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्ति पश्चात शेष रकबा 1 बीघा 14 बीस्वा पर से रेस्पोडेन्द को बेदखल करने का प्रार्थना पत्र धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अस्वीकार किया गया हैं। यहां यह उल्लेखनीय हैं कि उक्त धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में यह प्रावधान हैं कि अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों की संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बेदखली की जावेगी। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपंजीकृत दस्तावेज दिनांक 28.09.1991 का हवाला दिया जाकर निर्णय में यह अंकित किया गया हैं कि अपीलांटस के पिता व पति ने भूमि का विक्रय कर रेस्पोडेन्द को कब्जा संभलाया हैं जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 का उल्लंघन हुआ हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 में ऐसे विक्रय पत्र को प्रभाव शून्य माना गया हैं जिसमें एक पक्ष अनुसूचित जाति/जनजाति का हो और दूसरा पक्ष स्वर्ण जाति का हो। हस्तगत प्रकरण में विक्रय पत्र अपंजीकृत हैं एवं धारा 42 से प्रभावित हैं। प्रथमदृष्ट्या अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यों का परीक्षण किये बिना ही निर्णय पारित किया गया हैं जो कथई न्यायोचित नहीं हैं। यदि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अन्तर्गत धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 से प्रभावित माना जाकर निर्णय दिया गया हैं तो प्रकरण को अन्तर्गत धारा 175 के तहत ऐसी भूमि राज्य सरकार में निहित करने हेतु प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए था।

उपरोक्त विश्लेषणानुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.05.2018 निरस्त किया जाता हैं, साथ ही प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी), 42 एवं 175 के परिपेक्ष्य में प्रकरण का पुनः परीक्षण कर पक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण अन्दर 3 माह में किया जाना सुनिश्चित करे। पक्षकारान् अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.06.2022 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कस्तार सिंह)
अति0 जिला कलक्टर, बूंदी

अति0 जिला कलक्टर बूंदी (राज0)